15. पत्रकारिता : रिपोर्टर — 85
- आशा राठौर

16. पत्रकारिता : रिपोर्टिंग — 92
- प्रा. माधुरी राजीव क्षीरसागर

17. समाचार लेखन — 98
- डॉ. रेवा प्रसाद

18. समाचार के प्रकार — 104
- डॉ. प्रवीण बाला

19. समाचार : संपादन कला — 111
- डॉ. मारोती यमुलवाड

20. समाचार समितियाँ — 118
- डॉ. मोहनिका गजभिये

21. ई-पत्रकारिता — 124
- प्रा. पांडुरंग एन. कामत

22. विज्ञापन पत्रकारिता — 129
- डॉ. वै. उमा

23. टेलीविजन पत्रकारिता — 136
- डॉ. श्रद्धा तिवारी

24. रेडियो पत्रकारिता — 142
- डॉ. बिक्रम कुमार साव

25. वेब पत्रकारिता — 149
- जिष्णा राघव

26. पत्रकारिता और साक्षात्कार — 156
- डॉ. तेजिंदर कौर

27. पत्रकारिता : फीचर लेखन — 162
- रोहिणी रामचंद सालवे

28. पत्रकारिता और अनुवाद — 167
- विजय एम. राठोड

29. हिंदी की प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ — 172
- डॉ. ममता नानकचंद पंजाबी

30. हिंदी के प्रमुख पत्रकार — 178
- डॉ. लूनेश कुमार वर्मा

31. हिंदी पत्रकारिता : समाज सुधार आंदोलन — 185
- जयवीर सिंह

32. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता — 190
- निलेश एस. पाटील

33. पत्रकारिता और सरकारी संचार माध्यम — 196
- डॉ. फतेह सिंह

34. पत्रकारिता की नैतिकता पर सवाल — 202
- डॉ. देविदास भिमराव जाधव

35. पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ — 208
- डॉ. ललित चंद्र जोशी

Mr. Bhaskar Rajeev Raghunath
Asst. prof. Hindi Department
ISBN Publication
Book ch

हिंदी पत्रकारिता

© डॉ. पोपट भावराव बिरारी

प्रकाशक

एस.एम.आर.ए पब्लिकेशन्स

नंबर 2, श्री अन्नपूर्णेश्वरी निलय, पहला मेन रोड,

बसवेश्वरनगर, लग्गेरे,

बेंगलुरू-560058

बिक्री मुख्यालय- बेंगलुरू

ISBN: 978-93-5506-296-3

प्रथम संस्करण 2022

मूल्य : ₹ 390/-

लेखक की सहमति से पुस्तक के प्रकाशन के समय इस बात का भरसक प्रयास किया गया है कि प्रकाशित सामग्री पूरी तरह से त्रुटि रहित हो। समीक्षा लेख एवं रिव्यू आर्टिकल में प्रयुक्त वाक्यांशों के अतिरिक्त लेखक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक का कोई अंश किसी माध्यम में प्रयोग करना या पुनरुत्पादित करना प्रतिबंधित है। लेखक की लिखित अनुमति के बिना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम में इस पुस्तक या उसके किसी अंश का भंडारण, रिकॉर्डिंग या फोटो कॉपी करना प्रतिबंधित है।

प्राक्कथन

आज के वैज्ञानिक युग में पत्रकारिता का विशेष महत्व है। पत्रकारिता समाज जीवन से संबंधित समसामयिक घटनाओं को शीघ्रता के साथ दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने में सक्षम है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जो पत्रकारिता की परिधि में न आता हो। समय के अनुसार पत्रकारिता का विकास होता गया है, वैसे ही उसके आयामों की परिधि भी विस्तृत होती गई है। अतएव पत्रकारिता के द्वारा जनता के सामने लोक कल्याण के कार्यों का विवरण प्रस्तुत हो रहा है। वर्तमान समय में पत्रकारिता समाज जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अतः पत्रकारिता के व्यावसायिक महत्व को देखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में पत्रकारिता विषय को पढ़ाया जा रहा है, ताकि छात्रों में पत्रकारिता लेखन का कौशल विकसित हो सके। अतः इस दृष्टि से 'हिंदी पत्रकारिता' यह ग्रंथ उपयोगी सिद्ध होगा।

मनुष्य जिज्ञासु प्राणी होने के कारण वह अपने आसपास की घटनाओं को जानने का इच्छुक होता है। वर्तमान समय में यह जानने की इच्छा अधिक प्रबल होती गई है। पहले समाचारों को अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुँचने में चौबीस घंटे का समय लगता था; लेकिन आज तकनीकी विकास के कारण रेडियो, टेलीविजन एवं इंटरनेट के द्वारा कुछ ही क्षणों में समाचार श्रोता तक आसानी से पहुँच रहा है। वर्तमान में दृक्-श्राव्य माध्यम से पत्रकारिता को गति मिली है। समसामयिक घटनाएँ, साहित्यिक परिचर्चाएँ, देश-विदेश की गतिविधियाँ, युद्ध स्थिति, खेलकूद आदि कई प्रकार के समाचार आज हम देख और सुन भी रहे हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य संसार की घटनाओं को एकत्रित करके उनका विवेचन करना, उनका विवरण इकट्ठा करना तथा उन्हें पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुँचाना है। पत्रकारिता समाज की कमियों एवं कुरीतियों को उजागर करके उन्हें दूर करने का प्रयास करती है।

अतः पत्रकारिता का लक्ष्य समाज में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सुखी जीवन की कामना करना है। पत्रकारिता जनसेवा का सशक्त माध्यम है और तमाम तकनीकी विधाओं के फलस्वरूप संचार माध्यमों ने पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की है, जिसके कारण चुनौतीपूर्ण कार्य सहज हो पाया है। वस्तुतः पत्रकारिता का

16. पत्रकारिता : रिपोर्टिंग

- प्रा. माधुरी राजीव क्षीरसागर

समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए पत्रकारिता-रिपोर्टिंग का एक विशेष स्थान है। यह क्षेत्र बहुत विस्तृत है। लोकहितों की रक्षा हेतु पत्रकारिता रिपोर्टिंग होती है। एक अच्छे रिपोर्टर के लिए उसमे पत्रकार के विशेष गुण होने चाहिए तथा वह आचार संहिता का पालन करने वाला हो। पत्रकारिता रिपोर्टिंग में रिपोर्टर को दोनो पक्षों की तरफ निष्पक्ष होकर देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी घटना में होनेवाली गतिविधियों को एक तरफा प्रस्तुत करने से सामाजिक एवं राष्ट्रीय शांति पर प्रश्न उठ सकता है। इसलिए दोनो पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहिए।

रिपोर्टिंग का स्वरूप :-

रिपोर्टिंग का शाब्दिक अर्थ है. संवाद लिखना या भेजना, सूचना देना, बतलाना या कहना, विवरण देना। पत्रकारिता-रिपोर्टिंग के माध्यम से हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे अनेक साधनो द्वारा देश विदेश की अच्छे-बुरे सभी समाचारों से अवगत होते है। यह रिपोर्टर की जिम्मेदारी है की वह तथ्य को लोगो तक पहुँचाए। समाज एवं राष्ट्र के विविध क्षेत्र में फैली बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार की सूचनाएँ हर तरफ पहुँचकर राष्ट्र के चरित्र एवं व्यवहार को रेखांकित करता है तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन के प्रगतिशील तत्वों के निर्माण और व्यवहार द्वारा समाज में फैला हुआ अंधविश्वास, रूढि-परंपराओं के प्रति संघर्ष छेडता है। इसके साथ अपनी सजगता से समाज में नई चेतना का प्रचार-प्रसार भी करता है। जैसे कहा जाता है रिपोर्ट के लिए रिपोर्टिंग की जाती है।

रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टर जरूरी तथ्यो को जुटाता है, जो मुख्यत: घटना और दुर्घटना दो तरह के विषयों पर आधारित होती है। घटना जो पहले से ही दिन, समय, स्थान के साथ योजनाबद्ध तरीके से तय होती है। जैसे कोई शुभारंभ का कार्यक्रम हो, किसी मंत्री महोदय की विदेश यात्रा हो, किसी अदालत की सुनवाई हो या

किसी महान व्यक्ति के जयंती-पुण्यतिथि हो। लेकिन कोई भी दुर्घटना कोई निश्चित समय, स्थान के साथ नही होती जैसे कोई नैसर्गिक आपदाएं हो, कोई हवाई जहाज ट्रेन की दुर्घटना हो, भूकंप हो या मौसम की मार हो लेकिन इन सभी समाचारों के लोगो तक सही अवलोकन से तथ्य को सामान्य लोगों तक पहुँचाने का कार्य बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के एवं बिना भ्रष्टाचार से होना उतनाही जरूरी होता है। रिपोर्टिंग करनेवाले रिपोर्टर को निष्पक्षता एवं जागरूकता से रिपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। अपने वरिष्ठ लोगों से हमेशा चर्चा करना तथा अपनी बात को स्पष्टता से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है।

रिपोर्टिंग की प्रक्रिया :-

प्रक्रिया को अंग्रेजी में प्रोसेस कहते है। प्रक्रिया का अर्थ है कार्यविधि। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में रिपोर्टिंग के विषय की मंजूरी मिलने के बाद यह जरूरी होता है की रिपोर्टर यह सोच विचार करे कि वह किस तरह इस घटना का रिपोर्ट कर सकता है। उसी तरह उसे इन तथ्यो पर विचार करना होता है कि उस रिपोर्ट में कौनसी बातों को शामिल करना है और कौनसी बातों को छोड देना है। यह सीखने की प्रक्रिया एक रिपोर्टर को अपने कार्य के अनुभवो से अपने विचारपूर्वक काम करने से अवगत होती है। समाचार पत्रों में समाचार छपने के लिए क्या जरूरी है? उसी तरह घटना के कौनसे बिंदुओं को कितना महत्व देना है इसका अंदाज उसे होना जरूरी है। साथ में उस रिपोर्ट का असर लोगों पर कैसा रहेगा और लोगों की उस पर क्या प्रतिक्रियाएं होगी यह भी देखना जरूरी होता है। उसी तरह टी.वी. रिपोर्टर को शॉट की शूटिंग करने से पहले उसकी सब तैयारी करनी आवश्यक होती है। जैसे- कैमरा का बैलेंस सही करना, उसकी ऊंचाई को सही रखना, ऑडियो का स्तर बराबर रखना, मौसम के अनुसार जरूरी सामान साथ में लेना, कैमरे की तकनीकी आवश्यकताएं जानकार और उस विषय में अभ्यास किए लोगो को ही चुनना आवश्यक है। घटना स्थल पर जागरूकता से हर तरफ ध्यान देते हुए लोगों की बातें सुनना, प्रश्न पूछना और सही उत्तर को पाना, तकनीकी व्यवस्था के साथ ही घटना स्थल पर लोगो में कोई संदेह न रहे इसका भी खयाल रखना आवश्यक है।

रेडियो रिपोर्टिंग में ध्वनि का महत्व ज्यादा है। इसलिए साउंड सिस्टम पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तथा तथ्य पर ही अपना लक्ष्य केंद्रित करना जरूरी होता है। हर घटना को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। घटना के अनुसार अपने आवाज

और अपने मुखमंडल के भाव को नियंत्रित तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए। रिपोर्ट की स्क्रिप्ट बनाना भी एक कला है। प्रभावी शब्दों में जनमानस की भावनाओं का खयाल रखते हुए केवल सत्य को ही उजागर करना आवश्यक होता है। स्टोरी संपादित होने के बाद वॉयस ओवर और विजुअल को एक बार फिर से जांच लेना उतना ही जरूरी है जितना संपादन से पहले जाँचना जरूरी है।

पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्र में रिपोर्टिंग :-

पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत होने के कारण उसे अलग-अलग क्षेत्र में बाँटा गया है उसे 'बीट' कहा जाता है। जैसे खेल रिपोर्टिंग, राजनैतिक रिपोर्टिंग, न्यायिक रिपोर्टिंग, खोज रिपोर्टिंग, सांस्कृतिक एवं फिल्म रिपोर्टिंग, ग्रामीण व कृषि पत्रकारिता की रिपोर्टिंग, अपराध रिपोर्टिंग। इन सब क्षेत्रों में उसके नाम के आगे 'बीट' शब्द जोड़ा जाता है। जैसे- खेल बिट, अपराध बिट आदि।

1. राजनैतिक रिपोर्टिंग :

किसी भी देश के बारे में जानना हो तो हम समाचार पत्र, टी.वी., रेडियो का सहारा लेते है और इन सभी में राजनीति की खबरों का विशेष महत्व रहता है। अगर आजकल हम इन प्रसार माध्यमों को देखें तो राजनीति की छोटी से छोटी खबर से लेकर बड़ी से बड़ी खबर हमें देखने, सुनने एवं पढ़ने को मिलती है। राजनैतिक बीट विविधता से परिपूर्ण होने के कारण इस बीट की खबरों को कवर करना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, जो संवाददाता को बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। अपने क्षेत्र के नेताओं के संपर्क में रहना जरूरी होता है जिससे जरूरत पड़ने पर वो उनसे संपर्क कर सके। संवादाता को उस क्षेत्र के सभी राजनैतिक दलों की तथा उनकी नीतियों की पूरी-पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है।

राजनैतिक दलों, सत्ता में रहने वाले दल एवं विरोधी पक्षों के दलों में होनेवाली सारी क्रियाकलापों पर नजर होनी चाहिए साथ में उद्योग-व्यापार जैसे कौनसे क्षेत्र के लोग उनके साथ रहते है इसकी जानकारी रखना भी आवश्यक है। बहुत बार हम सुनते है की अपराधी क्षेत्र के लोगों का सहयोग नेता लोगों को होता है। इस बात पर भी पत्रकार-रिपोर्टर का ध्यान होना जरूरी है। उसी तरह राजनैतिक कार्यवाही के साथ नेताओं की सभी गतिविधियों की खबर रखना रिपोर्टर का महत्वपूर्ण कार्य है।

2. न्यायिक रिपोर्टिंग :

न्यायालय यह देश के न्याय व्यवस्था की पहचान है और न्याय व्यवस्था से देश की प्रतिष्ठा होती है। न्याय संबंधी समाचारों को लेकर विशेष सावधानी बरतना रिपोर्टर को अनिवार्य है। किसी भी सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करके समाचार नहीं लिख सकते। संवाददाता का यह फर्ज है की कोई भी समाचार की पूरी तरह तहकीकात किए बिना और उसकी सत्यता परखे बिना उस खबर को न छापे। कोई भी व्यक्ति पर गुनाह सिद्ध होने तक अपराधी नहीं कहलाता। अगर गलती से या बिना सोचे समझे संवाददाता ऐसी कोई खबर ना छापे जिससे उस व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुँचे। मुकदमे से पहले लिखी गई रिपोर्ट के आधार पर लिखे हुए समाचार में सूत्र का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। समाचार एक तरफा न हो इसका खयाल संवाददाता को रखना आवश्यक होता है।

रिपोर्टर को कानून की तथा अलग-अलग तरह के अदालतों की जानकारी होना जरूरी है, साथ ही उसके अनुसार न्यायिक कार्य प्रक्रिया को भी जानना उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिससे उसे अपने काम में आसानी होगी। जैसे- मजिस्ट्रेट कोर्ट, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदि। कोर्ट से संबंधित लोग जैसे वकील, कोर्ट का लिपिक से संबंध बनाए रखना उसके कार्य का एक भाग होना चाहिए। महत्वपूर्ण फैसलों को समझकर उसकी फाइनल कॉपी हाथ में आने के बाद उसकी जाँच करने के बाद ही उसे छापने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए सत्य के आधार पर ही समाचार बनना जरूरी है। पत्रकार को अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रिपोर्टर अपनी मर्यादाओं को समझते हुए अगर रिपोर्ट तैयार करे तो वह एक नामी रिपोर्टर के रूप में अपना स्थान बना सकता है।

3. अपराध रिपोर्टिंग :

जिस तरह अपराध जगत में अपराधों की संख्या बढ़ने लगी है, उसी तरह अपराध रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टर की मांग भी बढ़ने लगी है। समाज में रोजमर्रा के जीवन में आए दिन हम अनेकों अपराधों की घटनाओं को घटते देखते है, जैसे- चोरी, लूट, अपहरण, हत्या, दुर्घटना, बलात्कार, डकैती आदि। ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करनेवाले अपराध क्षेत्र के संवाददाता कहलाते है। अपराधजनक खबरों

को जुटाने एवं उसे सही समय और सत्यता को परखने उसे निर्भयता से पेश करने में अपराध संवाददाता की भूमिका बहुत अहम होती है। गलत खबर से रिपोर्टर के साथ पत्रिका को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है और अगर वह निर्भयता से खबर को समाज के सामने रखने की हिम्मत दिखलाता है तो वह एक निर्भीक संवाददाता के रूप में पहचान पा सकता है। अपराध बीट की रिपोर्टिंग बहुत संवेदनशील होती है। इस बीट में संवाददाता को बहुत कुशलता एवं सतर्कता और संयम के साथ काम करना आवश्यक होता है क्योंकि इनका सामना छोटे से लेकर बड़े अपराधियों तक और आम पुलिसवाले से लेकर अकड़ पुलिसवालों तक से सामना पड़ता है।

अपराध बीट चुनौती भरा भी है। इसलिए रिपोर्टर को कानून की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी, भारतीय दंड संहिता के नियम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधिकारों की जानकारियाँ, गिरफ्तारी से संबंधित नियमों की जानकारी आदि। इसी के साथ अपराधी का भूतकाल कैसा है? उसे किसी सफेदपोशों का समर्थन या सहारा तो नहीं है न? इन बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

4 शिक्षा रिपोर्टिंग :

शिक्षा क्षेत्र यह हर देश में उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा संबंधी हर खबर सामान्य लोगों तक सही तथ्य के साथ पहुँचाना रिपोर्टर का कर्तव्य होता है। नई शिक्षा नीति जैसे हर नए और अहम बदलावों को उसके परिणामों के साथ पाठकों तक पहुँचाना चाहिए। आज शिक्षा के स्वरूप को जानना विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य होने लगा है। सामान्य शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी हासिल करने में अभिभावकों की रुचि बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए विविध पाठ्यक्रम, उसे चलाने वाले महाविद्यालय एवं संस्थाएँ जैसी हर जानकारी उपलब्ध करना, उसके फायदे नुकसान का ब्यौरा पाठकों तक पहुँचाना होता है। इन संस्थाओं के विज्ञापन भी छपवाने होते हैं। विद्यार्थी संगठन की भी गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुँचानी होती है। शिक्षा बीट के माध्यम से नई पीढ़ी को नई दिशा मिलती है। इसलिए इसे बड़ी सतर्कता और समझ से प्रस्तुत करना चाहिए।

5. ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता की रिपोर्टिंग :

भारत कृषि प्रधान देश है यहाँ की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और हम जानते की भारत की आत्मा गाँवों में बसती है सत्तर प्रतिशत लोग ही है जो कृषि पर अपना और अपने देश का भविष्य निर्धारित करते है। कृषि क्षेत्र में हुए विकास के बाद भी आज तक वह तकनीकी सुविधा निचले स्तर तक नहीं पहुँच पाई, इस जागृति का काम अलग-अलग समाचार माध्यम के द्वारा किया जा सकता है। विविध योजनाओं की जानकारी, पशुपालन, कृषि रसायन, कृषि अर्थ व्यवस्था की जानकारी सामान्य कृषक तक पहुँचाना कृषि बीट में रिपोर्टर का काम होता है।

उपर्युक्त रिपोर्टिंग के अलावा खेल रिपोर्टिंग, सांस्कृतिक व फिल्म रिपोर्टिंग, बाल पत्रकारिता की रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता की रिपोर्टिंग, विकास पत्रकारिता रिपोर्टिंग आदि पत्रकारिता-रिपोर्टिंग के विभिन्न क्षेत्र है।

निष्कर्ष :

रिपोर्टिंग का कार्य अत्यंत कुशलता से होना चाहिए। साथ ही यह कार्य जोखिम और चुनौतियों से भरा है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में तो यह कार्य और भी ज्यादा कुशलता, योग्यता एवं साहस की माँग करता है। रिपोर्टर के लिए हर रोज चुनौती होती है कि वह अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों से बेहतर रिपोर्ट कैसे तैयार करे। पत्रकारिता की भाषा में कहे तो किसी भी घटना का अवलोकन कर, उसे कम से कम सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिखकर तैयार कर किसी संबंधित समाचार माध्यम को प्रस्तुत करना रिपोर्टिंग कहलाता है तथा जो व्यक्ति इस रिपोर्ट को तैयार करता है वह रिपोर्टर कहलाता है। रिपोर्टिंग बीटों के लिए रिपोर्टर की नियुक्ति करते समय उनकी उस क्षेत्र में रुचि, कौशल, योग्यता और अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. भूपेन सिंह, समाचार : अर्थ, अवधारणा और रिपोर्टिंग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल
2. हेरम्ब मिश्र, संपूर्ण पत्रकारिता, अभिनव भारती प्रकाशन इलाहाबाद, प्र.सं. 1979
3. हेरम्ब मिश्र, पत्रकारिता : संकट और संत्रास, अनादि प्रकाशन इलाहाबाद, प्र.सं. 1973